बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (बेगूसराय) 02–150/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा, बेगूसराय के विरूद्ध समाहर्त्ता, बेगूसराय के पत्रांक–5328/रा0, दिनांक–04.12.2023 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध दाखिल खारिज वादो का निष्पादन सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं करने एवं निष्पादन में जानबूझकर विलंम्ब करने, श्री रामाकांत महतो, तत्कालीन अचंल अधिकारी, शाम्हों अकहा कुरहा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर भेजने में जान बुझकर विलंब करने, अतिक्रमण वाद संख्या–01/20–21 कौशल किशोर सिंह बनाम राम सरोवर सिंह एवं अन्य के संबंध में विधिवत सुनवाई नहीं करना एवं अभिलेख विधिवत संधारित नहीं करने, सरकारी भूमि (सभी सर्वेक्षण खतियान के अनुसार) की सूची ऑन लाईन इन्ट्री कराने में विभागीय निदेशों की अवहेलना तथा वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने, दाखिल खारिज वाद संख्या–26/21–22 में नियमो की अनदेखी कर मनमाने तरीके से स्वीकृति प्रदान करने, बाढ़ 2021 के साहाय्य सामग्रियों के अभिश्रवों में निविदा अनुरूप राशि भुगतान न कर अत्यधिक राशि का भुगतान करने एवं शीर्ष विचलन कर राशि की निकासी करने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये।

2. प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–190(15) दिनांक–06.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार अपने कार्यालय पत्रांक–402 दिनांक–15.04.2024 से विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किये। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–1057(15), दिनांक–14.06.2024 द्वारा समाहर्त्ता, बेगूसराय से मंतव्य की मांग की गयी।

3. समाहर्त्ता, बेगूसराय से मंतव्य अप्राप्त रहने के फलस्वरूप आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–2302(15) दिनांक–14.11.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को संचालन पदाधिकारी तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेगूसराय को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. अपर समाहर्त्ता, खगड़िया–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2596 दिनांक–01.08.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध लगाये गये सभी सात आरोपों में से क्रमांक–03 को छोड़कर शेष सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1682(15) दिनांक–10.09.2025 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1070 दिनांक–25.09.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित निष्कर्ष एवं द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध **"संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा, बेगूसराय **सम्प्रति अंचल अधिकारी, बाजपट्टी, सीतामढ़ी** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (vi) के तहत **"संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित कर विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

निबंधित
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (बेगूसराय) 02–150/2023–.........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, बेगूसराय को उनके पत्रांक–5328/रा0, दिनांक–04.12.2023 के प्रसंग में/समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगूसराय एवं सीतामढ़ी/श्री प्रभात कुमार, अंचल अधिकारी, बाजपट्टी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (बेगूसराय) 02–150/2023–......247......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......26.02.26

प्रतिलिपि :– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री प्रभात कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

26/02/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।